| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 29/5/24 | पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक 07/6/24 को पेश हो। Prinkar सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर | |
| 07/06/24 | पत्रावली पेश। प्रा. पत्र विगत 14 वर्षों से लंबित है, जो न्यायसंगत नहीं है। आदेशिका दिनांक 06/05/10 के अनुसार अप्रार्थी सं. 01 ता 07, 08, 09 की ओर से वकील उप.। आदेशिका दिनांक 08/04/13 के अनुसार अप्रार्थी सं. 01 ता 07 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। आदेशिका दिनांक 14/01/20 के अनुसार प्रार्थी सं. 01, 02 के वारिसान record पर लेने हेतु आदेशित किया जा चुका है। संशोधित वाद-शीर्षक पेश नहीं। एक अन्य प्रा. पत्र 022 R10 लंबित है, जिसका जवाब पूर्व में पेश हो एवं आज ही संशोधित वाद-शीर्षक पेश हो। बहस हो। प्रा. पत्र under 022 R10 CPC पर प्रार्थी सं. 02 मूलवाद आदेशिकानुसार ता. 09 के extent तक प्रा. पत्र dismiss किया जाता है। लंबे समय से अप्रार्थी सं. 08, 09 की ओर से जवाब पेश नहीं। जवाब बंद किया जाता है। अधि. प्रार्थी प्रा. पत्र under 022 R10 CPC की प्रति प्राप्त करे एवं जवाब दे। पत्रावली दिनांक 24/06/24 को पेश हो। Prinkar सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर 21/06/24 | |
| 21/06/24 | पत्रावली पेश। मूलवाद आदेशिकानुसार समस्त लंबित प्रा. पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। समस्त अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अधि. प्रार्थी सं. 01 उप.। एकपक्षीय बहस सुनी गई। मुताबिक बहस- " गाँव खारड़ा रणधीर ख.सं. 16/1 (06 बीघा 08 बिस्वा) प्रार्थीगण की | |

पुश्तैनी कब्जा-काश्त की भूमि है। ख.सं. 14/1, ख. सं. 16 वक्त settlement से एक ही चक में स्थित है। खतौनी बंदोबस्त संवत 2011-30 के column 32 में प्रार्थीगण के पूर्वज बींजिया पुत्र मोडा वर्णित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पूर्वज वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो गये। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के दादा मोहन S/o चुतरा द्वारा बींजिया के पक्ष में दिनांक 25/06/56 को बेचान कर भौतिक कब्जा दिया गया। विवादित भूमि की बिगोड़ी भी बींजिया के नाम से है। अप्रार्थीगण का विवादित भूमि में कोई हक नहीं है। अप्रार्थी गोपीराम द्वारा अप्रार्थी माताबक्स के पक्ष में किया गया बेचान गैर-कानूनी है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि का बेचान ना करें एवं प्रार्थीगण को बेदखल ना करें।"

उपरोक्त तथ्यों, दस्तावेजों, बहस के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- " प्रस्तुत खतौनी बंदोबस्त संवत 2011-30 में प्रार्थीगण के पूर्वज बींजिया का नाम उपभोक्ता के रूप में दर्ज है, बिगोड़ी रसीदों में भी बींजिया का नाम दर्ज है। जिसके संबंध में प्राधिकार मूलदावे में तय होने हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः गाँव खारड़ा रणधीर, ख. सं. 16/1 के record की यथास्थिति तार्फैसला मूलवाद बनी रहे। साथ ही बिना विधिक-प्रक्रिया अपनाए प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखली का

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रयास ना किया जावे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है" आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।<br><br>Priyanka<br>सहायक कलक्टर<br>(फास्ट ट्रैक) जोधपुर<br><br>सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर<br>सत्यमेव जयते | |